फर्द अहकाम

नियति वगै0 बनाम बनवारी लाल वगै0

ायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

स सं0 28/2024

सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.10.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है एवं माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को ताफैसला वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने हेतु पाबंद फरमाया जावें। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या के 01 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है। आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 16.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या .01 को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः अप्रार्थी संख्या 01 बनवारीलाल पुत्र पोखर जाति कुमावत नि0 घोडेला की ढाणी, बबेरवालों की ढाणी तह0 जोबनेर को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 341 रकबा 0.0253 हे0, खसरा नं0 349 रकबा 0.0379 हे0, खसरा नं0 350 रकबा 5.8926 हे0, खसरा नं0 329/2 रकबा 0.0126 हे0, खसरा नं0 329/3 रकबा 0.0126 हे0, खसरा नं0 986/329 रकबा 7.5569 हे0 तथा खसरा नं0 982/332 रकबा 0.2830 हे0 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अन्य सह खातेदार उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	